**रिपोर्टेबल**

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार**

आपराधिक अपील संख्या 595/2014

[विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3634/2013 से उत्पन्न]

कन्हैया लाल ..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य ..... प्रत्यर्थी (गण)

*धारा 302 और 201 - हत्या - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - अभियुक्त अपीलार्थी के कुएं से शव बरामद - कहा गया कि अपीलार्थी और मृतक को पिछली रात आखिरी बार एक साथ देखा गया था - गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया - अभिनिर्धारित: इस मामले में, आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह अपीलार्थी ही था जिसने अपराध किया था - अपीलर्थी की ओर से केवल गैर-स्पष्टीकरण, अपने आप में उसके खिलाफ अपराध का सबूत नहीं बन सकता है - हेतु स्थापित नहीं है - अपीलर्थी की दोषसिद्धि केवल संदेह के आधार पर, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, या उसके आचरण पर बरकरार नहीं रखी जा सकती है -*

*अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और उसे संदेह का लाभ देकर आरोप से बरी कर दिया जाता है। - साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य।*

**निर्णय**

**सी. नागप्पन, न्यायाधिपति**

अनुमति प्रदान की गई।

1. डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 515/2004 मे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के फैसले के खिलाफ यह अपील की गयी है।

2. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक संख्या 1, डूंगरपुर की फाइल मे सेशन ट्रायल संख्या 1/2004 मे अपीलार्थी कन्हैया लाल अभियुक्त संख्या 2 है।

3. और उस पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और अपराध सिद्ध होने पर उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अदम अदायगी की स्थिति मे आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और आगे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 500 रुपये का जुर्माना अदम अदायगी की स्थिति मे आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 3 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। अभियुक्त संख्या 1

रमन लाल पर भी अभियुक्त संख्या 2 कन्हैया लाल के साथ आईपीसी की धारा 201 के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें उक्त आरोप से बरी कर दिया गया। दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए, अभियुक्त संख्या 2 कन्हैया लाल ने डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 515/2004 को प्राथमिकता दी और उच्च न्यायालय ने दिनांकित 17.4.2012 के फैसले द्वारा अपील को खारिज कर दिया। जिसे चुनौती देते हुए अपीलार्थी कन्हैया लाल ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार हैः पीडब्ल्यू 10 श्रीमती शांतिबाई मृतक काला की पत्नी हैं। पीडब्ल्यू 3 कामा काला के छोटे भाई हैं। अभियुक्त कन्हैया लाल पीडब्ल्यू4 हुरमा का भाई है। वे सभी गेसू का बाग गाँव के निवासी हैं। पीडब्ल्यू 4 हुरमा 31.8.2003 को रात 8.00 बजे घर लौट आया। लगभग रात 9 बजे अभियुक्त कन्हैया लाल और काला उसके घर आए और दारू की मांग की और पीडब्ल्यू 4 हुरमा ने एक बोतल दी और अभियुक्त कन्हैया लाल से Rs.15/- की राशि प्राप्त की। इसके बाद, दोनों एक साथ चले गए। काला रात को घर नहीं लौटा और सुबह पीडब्ल्यू 10 उसकी पत्नी शांतिबाई पीडब्ल्यू 11 धूला के साथ पीडब्ल्यू 4 हुरमा के घर गई और उसके पति के बारे में पूछताछ की। पीडब्लू4 हुरमा ने उन्हें बताया कि काला पिछली रात कन्हैया लाल के साथ उसके घर गया था और वे उसके घर से एक साथ लौट रहे थे।

पीडब्ल्यू 10 शांति बाई और पीडब्ल्यू 11 धूला अभियुक्त कन्हैया लाल के घर गए और वह वहां नहीं मिला।

5. पीडब्ल्यू 10 शांतिबाई ने अपने पति के लापता होने के बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्रामीणों को अभियुक्त कन्हैया लाल के कुएं में मफलर, जूते और तंबाकू की थैली तैरती हुई मिली। पीडब्ल्यू 3 कामा ने बिछिवारा पुलिस स्टेशन में प्रदर्श पी10 लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने काला के शव को कुएं से बाहर निकाला और आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत कथित अपराध के लिये एफआईआर संख्या 230/2003, प्रदर्श पी10, दर्ज की गयी । पीडब्ल्यू 12 फतेह सिंह चौहान ने जांच शुरू की। प्रदर्श पी11 घटनास्थल का नक्शा है। प्रदर्श पी13 पंचायतनामा है। प्रदर्श पी14 जूतों, मफलर और तंबाकू की थैली का जब्ती मेमो है।

6. पीडब्ल्यू 1 डॉ. राजेश शर्मा ने डॉ. कांति लाल के साथ पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पायाः

बाहरी चोटें:

1. गर्दन के बाईं ओर 5 x 2 सेमी खरोंच।

2. दाहिने तरफ गर्दन के पार्श्वीय पहलू पर 3 x 2 सेमी चोट लगी और ये सभी चोटें एंटीमॉर्टम थीं।

आंतरिक जांच में उन्हें पूर्ववर्ती रूप से ह्यॉइड हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया। उन्होंने राय व्यक्त की कि श्री काला की मृत्यु का कारण

न्यूरोजेनिक सदमे के साथ-साथ रक्तस्राव सदमे के कारण है और मृत्यु का समय पोस्टमॉर्टम से 36 से 48 घंटे पहले था। प्रदर्श पी 10 उनके द्वारा जारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है।

7. अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और जाँच पूरी होने पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। मामले को साबित आदेशने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और 26 दस्तावेजों को चिह्नित किया। बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। अभियुक्तों से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई और उनके जवाब दर्ज किए गए।निचली अदालत ने अभियुक्त संख्या 2 कन्हैया लाल को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाया है और उसे ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई है। निचली अदालत ने अभियुक्त संख्या 1 रामलाल को आरोप का दोषी नहीं पाया और उसे बरी कर दिया।

8. अभियुक्त संख्या 2 कन्हैया लाल ने अपील को प्राथमिकता दी और उच्च न्यायालय ने उस पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर उसने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

10. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी/अभियुक्त कन्हैया लाल ने गला घोंटकर काला की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया। इस घटना को किसी ने नहीं देखा और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं।

11. जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और उन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाले जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए।

12. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा कियाः

i) काला की मृत्यु की प्रकृति हत्या थी;

ii) काला को आखिरी बार अभियुक्त कन्हैया लाल के साथ देखा गया था जब वे दोनों घटना की रात को पीडब्ल्यू 4 हुरमा घर गए थे।

iii) काला ने अभियुक्त कन्हैया लाल की अपने छोटे भाई पीडब्ल्यू 3 कामा की पत्नी के साथ अवैध अंतरंगता पर आपत्ति जताई और यही घटना का कारण बना।

13. काला के शरीर का शव परीक्षण दो डॉक्टरों द्वारा किया गया था और उनमें से एक डॉ. राजेश शर्मा का परीक्षण पीडब्ल्यू 1 के रूप में किया गया है।

14. उनके अनुसार दो गर्दन पर बाहरी चोटें पाई गईं, गर्दन के बाईं ओर 5x2 सेमी खरोंच और दाईं ओर गर्दन के पार्श्विक पहलू पर 3x2 सेमी चोट और इसकी आंतरिक जांच में उन्होंने कशेरुका सी3 और सी4 का फ्रैक्चर और पूर्वकाल में हाइड हड्डी का फ्रैक्चर देखा और सभी चोटें एंटीमॉर्टम थीं।ऐसा माना जाता है कि कला की मृत्यु का कारण न्यूरोजेनिक सदमे के साथ-साथ रक्तस्रावी सदमा है। प्रदर्श 10 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। चिकित्सीय साक्ष्य को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट है कि काला की हत्या कर दी गई थी।

15. अपीलार्थी की सजा का प्राथमिक आधार, यदि एकमात्र आधार नहीं है, तो आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत पर है, क्योंकि मृतक काला, अभियुक्त कन्हैया लाल के साथ 31.8.2003 को रात 9 बजे पीडब्ल्यू 4 हुरमा के घर गया था। पीडब्ल्यू 4 हुरमा ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

16. अपने मुख्य परीक्षा में उसने कहा है कि घटना की रात को वह 8.00 बजे घर लौटा और लगभग 9.00 बजे अभियुक्त कन्हैया लाल और काला उसके घर आया और दारू की मांग की और उसने एक बोतल दी

और अभियुक्त कन्हैया लाल से 15 रुपये की राशि प्राप्त की और वे एक साथ लौट आए और अगले दिन सुबह काला की पत्नी पीडब्ल्यू10 शांतिबाई आई और उससे अपने पति काला के बारे में पूछताछ की और उसने उसे पिछली रात अभियुक्त कन्हैया लाल के साथ काला के घर आने के बारे में बताया। यह पीडब्ल्यू 10 शांतिबाई की गवाही है कि उसके पति काला घटना की रात घर नहीं लौटे और सुबह वह पीडब्ल्यू 4 हुरमा के घर गईं और पूछताछ की और रात में अभियुक्त कन्हैया लाल के साथ अपने पति के घर आने के बारे में उनसे पता चला। हालाँकि पीडब्ल्यू 4 हुरमा को पक्षद्रोही गवाह माना गया था, लेकिन उसकी उपरोक्त गवाही की पुष्टि पीडब्ल्यू10 शांतिबाई की गवाही से होती है।

17. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में और आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है कि यह अभियुक्त था जिसने अपराध किया था। संबंध स्थापित करने के लिए अभियुक्त और अपराध के बीच कुछ और होना चाहिए।

18. हमारी सुविचारित राय में, केवल अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण न देने से ही अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का प्रमाण नहीं मिल सकता है।

19. पीडब्ल्यू 3 कामा की पत्नी कमली के साथ अभियुक्त कन्हैया लाल की कथित अवैध अंतरंगता को घटना का कारण बताया जा रहा है। पीडब्ल्यू 3 के अनुसार, उनकी पत्नी कमली ने उन्हें चार साल पहले छोड़

दिया था और वह सांचिया गांव में अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं। पी डब्ल्यू 10 शांतिबाई ने भी अपनी गवाही में पुष्टि की है कि कमली 4-5 वर्षों से सांचिया गाँव में रह रही है। इससे पता चलता है कि वे कई वर्षों से एक साथ नहीं रह रहे थे। यह पीडब्ल्यू 3 काम की गवाही है कि उसने कमली और अभियुक्त कन्हैया लाल को कभी एक साथ नहीं देखा और गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे ऐसा नहीं बताया और यह केवल उसका भाई काला है जिसने उसे उनके बीच अवैध अंतरंगता के बारे में सूचित किया। इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक है कि काला की पत्नी पीडब्ल्यू10 शांतिबाई ने अपनी गवाही में कमली और अभियुक्त कन्हैया लाल के बीच किसी भी अवैध संबंध का आरोप नहीं लगाया है।

20. ऐसी परिस्थितियों में, यह संदेह है कि क्या उनके बीच कोई अवैध अंतरंगता थी जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यू3 कामा और पीडब्ल्यू10 शांतिबाई ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक काला और अभियुक्त कन्हैया लाल के बीच कोई विवाद नहीं था और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि परिवार के बड़े होने के नाते काला ने अभियुक्त कन्हैया लाल को अपनी भाभी कमली के साथ अवैध संबंध तोड़ने के लिए कहा, जिसके कारण हत्या हुई, यह स्थापित नहीं हुआ है।

21. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत - अपीलार्थी का मृतक के साथ यहां पहले देखे गए तरीके से जाना उसके खिलाफ उपलब्ध

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र टुकड़ा है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल संदेह पर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, या उसके आचरण पर कायम नहीं रखा जा सकता है। ये तथ्य हेतु के सबूत के अभाव के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जब यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त और मृतक के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

22. यह तथ्य स्थिति **माधो सिंह बनाम राजस्थान राज्य** (2010) 15 एससीसी 588 से काफी मिलती-जुलती है।

23. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, आक्षेपित निर्णय और सजा को बनाए रखना संभव नहीं है। इस अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी/अभियुक्त कन्हैया लाल पर लगाए गयी दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और उसे संदेह का लाभ देकर आरोप से बरी कर दिया जाता है। जब तक अन्यथा आवश्यक न हो, उसे तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

**न्यायाधीश (टी.एस. ठाकुर)**

**न्यायाधीश (सी. नागप्पन)**

**नई दिल्ली;**

**13 मार्च, 2014**

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।